

Registered Post

Request-95

From, Dinesh Gupta, Registrar General, High Court of Judicature at Allahabad.

To, The Principal Secretary, Govt. of U.P., Appointment Sec.-4, Lucknow.

No. 119141 /Admin A-1 Sec.,

dated: 7-10-09

Sub: Grant of three advance increments to post Graduate Selected Candidates of Nayaik Sewa in compliance of order dated 21.03.2002 of Hon'ble Supreme Court.

Sir,

With reference to Govt. Order no. 1363/II-4-2009-45(12)/91, T.C., dated 13.05.2009 on the above subject, I am directed to say that several Judicial Officers of the rank of <sup>District Judge</sup> Additional District Judge, Civil Judge (Senior Div.), Civil Judge (Junior Div.) and retired Judicial Officers who are possessing LL.M degree have represented to the Court for grant of three advance increments w.e.f 21.03.2002 in accordance with aforesaid Government Order. The said G.O. Dated 1305.2009 is not clear on the following points:-

JR(M)  
order dated  
17.9.09 of  
Learned R.G.  
is placed below.

May pay the  
file before  
Learned R.G.  
for signature  
and issue of  
the instant  
draft letter.

Dy Registrar  
03-10-09

Sub Registrar  
03-10-09

Registrar (B)

of appno. 5.  
The file be laid  
before Learned  
Registrar General  
for signature &  
issuing the  
instant letter?

J. R. (M)

Reg. Gen.  
may like to approve  
and sign the draft  
on 05/10/09

Approved  
G.L.

- Whether three advance increments are admissible to all the Judicial Officers (any cadre in service or retired) already possessing LL.M degree on 21.03.2002.
  - Whether three advance increments are admissible to those Judicial Officers also who acquire LL.M degree after 21.03.2002.
  - Whether three advance increments are admissible <sup>to</sup> only those Civil Judges (Jr.Div.) and officers of H.J.S (Direct recruit) who possessed LL.M degree at the time of selection to the service and who have mentioned this qualification in the application form submitted to the Public Service Commission/High Court, Allahabad.
  - Whether three advance increments are admissible to only those Civil Judges (Jr.Div.) and officers of H.J.S (Direct recruit) who possessed LL.M degree at the time of selection to the service as on 21.03.2002 or thereafter.
  - Whether the officers so entitled three advance increments under Govt. Order no. 1363/II-4-2009-45(12)/91 T.C., dated 13.05.2009 may also be entitled of Dearness Allowance on the three increments.
- I am, therefore, to request you kindly to move the Government to issue necessary clarification on the above point at an early date so that necessary steps for implementation of Government Order may be taken.

sewing in

Yours Faithfully  
Registrar General

Santlal  
23-7-09  
Encl-2

23/7

10209  
29.58  
101

258  
20-7-09  
1086

प्रेषक,

शाजिया नजर जैदी, 15/7/09  
अपर सिविल जज्ज सी. डि. १  
कोर्ट सं-1, गाजियाबाद।

31  
25/7/09

29-7-09

Request-95

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा: माननीय जनपद न्यायाधीश,  
गाजियाबाद।

विषय: विधि में स्नातकोत्तर उपाधि धारक होने के आधार  
पर शासनादेश संख्या 1363/दो-4-2009-45१। 2१/91  
टी. सी. नियुक्ति अनुभाग-4, लखनऊ, दिनांक 13-5-2009  
के अनुपालन में दिनांक 21-3-2002 से तीन अग्रिम  
वेतन वृद्धि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

23/7  
So Admin. H/A

J.R.(M)  
23-7-09

12:11 JUL 2009

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि माननीय उच्चतम न्यायालय  
के आदेश दिनांक 21-3-2002 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन  
द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के विधि में स्नातकोत्तर उपाधि धारक  
न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान  
किये जाने की संस्तुति की गयी है। मैंने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा  
में दिनांक 31-5-2001 को ज्वाइन किया है तथा मेरे द्वारा वर्ष  
1996 में "मास्टर आफ लाज" की उपाधि प्राप्त की थी। उक्त  
सन्दर्भित शासनादेश की छायाप्रति तथा मेरी विधि में स्नातकोत्तर  
की उपाधि की प्रमाणित प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

अतः श्रीमान् जीसे अनुरोध है कि उपरोक्त शासनादेश  
के अनुसार मुझे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से तीन अग्रिम  
वेतन वृद्धि की स्वीकृति प्रदान करवाने का कष्ट करे।

सादर।

भ्रमदीया,

दिनांक: 10-7-2009

10/7/09  
शाजिया नजर जैदी

संलग्नक: 1-शासनादेश की छायाप्रति,  
2-विधि स्नातकोत्तर उपाधि धारक की छायाप्रति  
अपर सिविल जज्ज सी. डि. १  
कोर्ट सं-1, गाजियाबाद।

Endorsement No. 2316/1 Dt. 10.7.09  
Forwarded to The Registrar General,  
Hon'ble High Court, Allahabad.

District Judge  
Allahabad

Ranky  
30-7-09

3  
J.R.(M)  
wcl

अनुक्रमिक L-550031  
Roll No.

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ



विधि निष्णात  
(Master of Laws)

प्रमाणित किया जाता है कि (कुमारी) शाजिया नजर जौदी ने इस विश्वविद्यालय से सन् १९८६ को परीक्षा में विधि निष्णात की उपाधि ~~द्वितीय~~ श्रेणी में प्राप्त की।

This is to certify that (Kumari) Shazia Nazam Jauhari obtained the Degree of MASTER OF LAWS of this University in the Examination of 1976 and that he/she was placed in Second Division.

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY MEERUT

Dated 20-05-1997



कुलपति

Vice-Chancellor

प्रेषक,  
कुंवर फतेह बहादुर,  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,  
महानिबन्धक,  
मा0 उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

257  
21.5.09

Request-95

नियुक्ति अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 13 मई, 2009

विषय:-प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (शेड्यूल कमीशन) द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उ0 प्र0 राज्य के स्नातकोत्तर उपाधिधारक न्यायिक सेवा के चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियां प्रदान किए जाने के संबंध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक मा0 शेड्यूल आयोग की रिपोर्ट वाल्यूम-2/ संस्तुति संबंधी पैरा-8.48 में पेज-5 पर निम्नलिखित संस्तुति की गयी है:-

8.48 If selected candidates are having a higher qualification like post Graduation in Law, We recommend that three advance increments be given as it is allowed by the Delhi Administration. It is an acknowledged fact that Post-Graduation in Law is a difficult course and it is better to reward appropriately such candidates.

2- इससंबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 21.3.2002 के अनुपालन में उपरोक्त संस्तुति को दिनांक 21.3.2002 से स्वीकार करते हुए विधि में स्नातकोत्तर उपाधिधारक उ0 प्र0 राज्य के न्यायिक सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को 3 अग्रिम वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-वे0आ0-2-517/दस-2009, दिनांक 13.5.2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

*Qee*

(कुंवर फतेह बहादुर)  
प्रमुख सचिव।

*Seen Circulate*  
*Keeton Gansh*

*K*  
*21/5*  
District Judge  
Ghaziabad

*Copy 15*

1. ADJ, Meerut

2. C.J. (R.D.) Gansh

.....2  
*Two Copies*  
*Delhi*  
*22/5/09*

संख्या-1363(1)/दो-4-2009-45(12)/91टीसी, तृप् दिनांक

प्रतिलिपि उपलिखित शासनादेश के संदर्भ में निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- श्री राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
- 2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 3- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ० प्र०, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उ० प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक वित्तीयप्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, 24/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- 7- सूचना निदेशक, उ० प्र०, लखनऊ।
- 8- समस्त अपर/संयुक्त निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उ० प्र०,
- 9- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1,2,3, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
- 11- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 12- संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
- 13- इरलाचेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची) प्रकोष्ठ, उ० प्र० सचिवालय।
- 14- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय तथा आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र० इलाहाबाद।
- 15- समस्त जनपद न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 16- श्री श्रीश कुमार मिश्रा, एडवोकेट आन रिकार्ड, 236 न्यू लायर्स चौम्वर, मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 17- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, मा० उच्चतम न्यायालय (विधि कोष्ठक), 21 राउज एवेन्यू, उर्दू घर मार्ग, नई दिल्ली।
- 18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवधेश कुमार सिंह राठौर)  
विशेष सचिव।